सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

25 आषाढ़, 1941 (श०)

संख्या- 552 राँची, मंगलवार, 16 जुलाई, 2019 (ई०)

जल संसाधन विभाग

संकल्प

19 जून, 2019

विषय:- अवमाननावाद संख्या-372/2018 वंदना रजक बनाम राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची में पारित न्यायादेश के आलोक में सुश्री वंदना रजक अष्टम् वर्ग उत्तीर्ण आश्रित विवाहित पुत्री स्व॰ अनिल चन्द्र रजक तत्कालीन अनुसेवक, आयोजन एवं मोनिटरिंग प्रमंडल, जमशेदपुर की अनुकम्पा के आधार पर चतुर्थ वर्ग के पद पर नियुक्ति करने हेतु अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता दसवीं (मैट्रिक) उत्तीर्णता को विशेष परिस्थिति में शिथिल करने संबंधी प्रस्ताव पर घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

संख्या:- 11/कोर्ट केस-01-02/2017:- 3186-- स्व॰ अनिल चन्द्र रजक, अनुसेवक, आयोजन एवं मोनिटरिंग प्रमंडल, जमशेदपुर की मृत्यु दिनांक 11.07.2011 को होने के उपरांत उनकी द्वितीय अविवाहित सुपुत्री वंदना रजक, शैक्षणिक योग्यता अष्टम वर्ग उतीर्ण द्वारा अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु दिनांक 05.10.2012 को सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना के प्रमंडलीय कार्यालय में आवेदन समर्पित किया गया। स्व॰ रजक की मृत्यु के उपरांत तथा दिनांक 05.10.2012 को आवेदन समर्पित करने के पश्चात वंदना रजक का विवाह दिनांक 16.11.2013 को हो गया।

2. विवाहित पुत्री के संदर्भ में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु राज्य सरकार से निर्गत पत्र/मार्गदर्शन - मृतक की आश्रित पत्नी, पुत्री, अविवाहित पुत्री, विधवा पतोहू मात्र नियुक्ति के पात्र/उपर्युक्त हैं, के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई कार्यपालक अभियंता द्वारा कार्रवाई नहीं करने के फलस्वरूप सुश्री वन्दना रजक द्वारा अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु माननीय उच्च न्यायालय, राँची में डब्लू॰पी॰(एस॰) संख्या-1189/2014 दायर किया गया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 05.08.2016 को पारित न्यायादेश में दिनांक 16.11.2013 के बाद विवाहोपरांत सुश्री वन्दना रजक को आश्रित नहीं बताते हुए किसी प्रकार का relief नहीं दिया गया तथा याचिका को खारिज कर दिया गया।

3. सुश्री वन्दना रजक द्वारा उपर्युक्त न्यायादेश दिनांक 05.08.2016 के विरूद्ध माननीय खण्डपीठ झारखण्ड उच्च न्यायालय के समक्ष एल॰पी॰ए॰ संख्या-532/2016 दायर किया गया, जिसमें दिनांक 05.12.2016 को माननीय उच्च न्यायालय ने Writ Order Dated 05.08.2016 को निरस्त करते हुए निम्न वर्णित आदेश पारित कियाः-

"As per cumulative effect of the aforesaid facts and reasons, we hereby quash and set-aside the judgment and order date 5th August, 2016 passed by the learned single judge in WP(S) No-1189 of 2014. We direct the respondent nos. 3,4 and 5 to issue appointment letter to this appellant for class-IV post employee within a period of twelve weeks from today, failing which the aforesaid three respondents shall remain personally present before this court on 06.03.2017. The Respondent – State in directed to pay Rs. 10,000- (Ten Thousand), as a cost. To the appellant within a period to four weeks thereafter. This amount will be paid by A/C payee cheque in favour of the appellant."

4. उपर्युक्त एल॰पी॰ए॰ में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्याय निदेश के क्रम में सुश्री वंदना रजक को चतुर्थ वर्गीय पद पर नियुक्त करने हेतु दिये गये आदेश पर पुनर्विचार हेतु जल संसाधन विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड में पुनर्विचार याचिका दायर की गयी, जिसे माननीय न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया।

तत्पश्चात् जल संसाधन विभाग, झारखण्ड द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एस॰एल॰पी॰ दायर किया गया, जिसे कालक्रम में खारिज कर दिया गया।

5. जल संसाधन विभाग द्वारा उपर्यक्त परिस्थिति में विद्वान महाधिवक्ता से परामर्श लिया गया। विद्वान महाधिवक्ता द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश के शीघ्र अनुपालन अथवा द्वितीय पुनर्विचार याचिका दायर करने हेतु परामर्श दिया गया और यह भी कहा गया कि द्वितीय पुनर्विचार याचिका (Second Review Petition) माननीय उच्च न्यायालय के प्रक्रियात्मक नियमों में Permissible नहीं है।

6. उल्लेखनीय है कि सुश्री वन्दना रजक की शैक्षणिक योग्यता अष्टम उतीर्ण है एवं वर्ग 4 के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दसवीं उतीर्ण निर्धारित है। ऐसे में जल संसाधन विभाग, झारखण्ड द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन हेतु सुश्री वन्दना रजक की अनुकम्पा के आधार पर वर्ग 4 के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को शिथिल करने का अनुरोध कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग से किया गया।

7. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा स्व॰ अनिल चन्द्र रजक, तत्कालीन अनुसेवक, आयोजन एवं मोनिटरिंग प्रमंडल, जमशेदपुर जल संसाधन विभाग की आश्रित विवाहिता पुत्री सुश्री वंदना रजक को अनुकम्पाके आधार पर नियुक्ति में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता दसवीं (मैट्रिक) उतीर्णता को विशेष परिस्थिति में शिथिल करते हुए अष्टम् वर्ग उतीर्णता के आधार पर अनुकम्पा के

आधार पर नियुक्ति का लाभ देने की सहमति इस शर्त पर दी गई की इसे पूर्वोदाहरण नही माना जाएगा एवं इस मामले में शैक्षणिक अर्हता शिथिल करने संबंधी प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद्, झारखण्ड से स्वीकृति प्राप्त करने का परामर्श दिया गया।

8. इस बीच अवमाननावाद संख्या-372/2018 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नांकित आदेश पारित किया गया है:-

"Despite request made for grant of at least one week time for compliance of order, court did not agree for the same and passed order stopping the salary of the aforesaid officers who are O.P. No. 2, 3 & 4 in the contempt petition till compliance of order. Beside, the Hon'ble court has also directed to O.P.s to deposit an amount of Rs. 5 lac with the Register General of the High court within 15 days as cost. Opposite Parties are directed to file their separate show-cause and adjourned the case for 21.06.2019 for reporting compliance."

9. उपर्युक्त क्रम में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के अविलम्ब अनुपालन हेतु मंत्रिपरिषद्, झारखण्ड से स्वीकृति के प्रत्याशा में जल संसाधन विभाग, झारखण्ड के स्तर से उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को समुचित निदेश निर्गत कर दिये गए हैं।

10. अतः उपर्युक्त के आलोक में स्व॰ अनिल चन्द्र रजक, तत्कालीन अनुसेवक, आयोजन एवं मोनिटरिंग प्रमंडल, जमशेदपुर जल संसाधन विभाग की आश्रित विवाहिता पुत्री सुश्री वंदना रजक को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति में निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दसवीं (मैट्रिक) उतीर्णता को विशेष परिस्थिति में शिथिल करते हुए अष्टम् वर्ग उतीर्णता के आधार पर अनुकम्पा पर नियुक्ति के लाभ की घटनोत्तर स्वीकृति इस शर्त पर प्रदान की जाती है कि इसे पूर्वोद्धारण नहीं माना जाएगा।

11. प्रस्ताव पर मंत्री परिषद की संपन्न बैठक दिनांक 04.06.2019 के मद संख्या-14 में स्वीकृति प्राप्त है।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

सुनील कुमार पोद्दार,
सरकार के अवर सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 552 -- 50